मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ-3-73/2013/32 भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2013

प्रति,

आयुक्त सह संचालक
संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर भोपाल म0प्र0

विषय :- म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में हुये संशोधन दिनांक 03.01.2012 के अनुसार धारा –16 के संबध में बैधानिक अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र कमांक 1293 दिनांक 18.04.2013

संदर्भित पत्र के माध्यम से वॉछित मार्ग दर्शन के संबध में अधिनियम के प्रावधान को निर्देशानुसार सुस्पष्ट किया जा रहा है।

अधिनियम की धारा 29(3) में धारा 30 के अन्तर्गत दी जाने वाली विकास अनुज्ञा को संशोधित करने के प्रावधान है। धारा 30 के अन्तर्गत उन प्रकरणों में विकास अनुज्ञा के संबध में आदेश पारित किया जाता है जो आवेदन धारा 29 के अन्तर्गत प्राप्त होते है। पूर्व में धारा 16 के अन्तर्गत विकास की अनुमति दिये जाने बाबत् विशिष्ट प्रावधान नही होने से 03.01.2012 को अधिनियम में संशोधन किया गया है।

अधिनियम की धारा 29 एवं 16 दो पृथक धाराऐ है। अधिनियम में संशोधन कर धारा 16(5) जोडी गई जिसके अनुसार धारा 31, 32, 33 के प्रावधान भी धारा 30 के अधीन दी गई अनुज्ञा के अनुसार यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे। इसी प्रकार धारा 16(4) में धारा 29 एवं 30 के प्रावधान यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होने का प्रावधान किया गया है। यद्यपि धारा 16 में दी जाने वाली अनुज्ञा के लिए धारा 30 के अन्तर्गत दी जाने वाली अनुज्ञा के अनुरूप कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है तथापि दोनों धाराओं में दी जाने वाली अनुज्ञा पूर्णतः भिन्न स्वरूप की है। अतः धारा 16 में दी जाने वाली विकास की अनुमति को धारा 30 के अन्तर्गत दी जाने वाली अनुज्ञा नही माना जा सकता। इसलिए धारा 29(3) के प्रावधान धारा 16 में दी गई विकास की अनुभति पर लागू नही होंगे।

(वर्षा नावलेकर)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग